

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015—कार्तिक 22, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरास्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्रमांक/ई-1-16/2015/1/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/11/2013-एआईएस (1) दिनांक 21-10-2015 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (2) के अंतर्गत श्री रवि प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से हरियाणा राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-91/22-1/2015.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2015, जिसे राज्य सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करती है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—

- (1) ये नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना-छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2015 कहलायेगा।
- (2) इस नियम का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।
- (3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (1) “अधिनियम” से अभिप्रेत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42);
- (2) “ब्लॉक/जनपद पंचायत” से अभिप्रेत है जिले के भीतर सामुदायिक विकास/आदिवासी विकास क्षेत्र, जिसमें ग्राम पंचायतों के समूह सम्मिलित हैं;
- (3) “सीईओ जनपद पंचायत” से अभिप्रेत है ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;
- (4) “सिविल सोसायटी” से अभिप्रेत है, मनरेगा मजदूर सहित कोई भी ग्रामीण समुदाय, गैर-शासकीय जन-भावना समूह अथवा व्यक्ति जिन्होंने सामान्यतः जन सतर्कता प्रक्रिया में और विशेषतः सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु लिखित में अपनी अभिरूचि व्यक्त की हो अथवा चयन किया हो ;
- (5) “कलस्टर” से अभिप्रेत है ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के समूह, जिसका गठन भौगोलिक निकटता के आधार पर हुआ हो;
- (6) “आयुक्त” से अभिप्रेत है आयुक्त, मनरेगा योजना, छत्तीसगढ़;
- (7) “जिला कार्यक्रम समन्वयक” से अभिप्रेत है जिला कलेक्टर;
- (8) “संभाग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित आसपास के जिलों के कलस्टर;
- (9) “निकासी बैठक” से अभिप्रेत है जिला कार्यक्रम समन्वयक (जो इसमें इसके पश्चात् डीपीसी के रूप में निर्दिष्ट है) द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल एवं कार्यान्वयन कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को ग्राम पंचायतवार सुना जायेगा और सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा जवाब दिया जायेगा जिस पर डीपीसी द्वारा निर्णय लिया जायेगा;
- (10) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (11) “ग्राम सभा” से अभिप्रेत है संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1993 और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम से संबंधित मतदाता नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर सृजित निकाय, तथापि, सामाजिक अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु ग्राम सभा से अभिप्रेत है किसी वार्ड/ग्राम/पारा/निवास, जिसमें उस पंचायत के किसी भाग के रहवासीगण सम्मिलित हों, में बैठक;

(12) “क्रियान्वयन एजेंसी” से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण या गैर सरकारी संगठन, जो मनरेगा योजना के अधीन लिए गए किसी कार्य के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो;

(13) “स्वतंत्र पर्यवेक्षक” से अभिप्रेत है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा चयनित एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी;

(14) “प्राथमिक हितधारक” से अभिप्रेत है ऐसे मजदूर, जो मनरेगा योजना के अधीन कार्य किए हों, उनके परिवार के सदस्य सहित और ऐसे पंचायत, जहां मनरेगा योजना कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हों, के निवासी;

(15) “कार्यक्रम अधिकारी” से अभिप्रेत है महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए जनपद स्तर पर नियुक्त अधिकारी;

(16) “सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण” से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, जो प्रशिक्षण और क्षमता विकास गतिविधियों को क्रियान्वित करेंगे और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों का सहयोग करेंगे;

(17) “सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा” एक विशेष ग्राम सभा है जिसका आयोजन, प्रत्येक छ: माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर विचार-विमर्श हेतु किया जायेगा. घोषणा, कोरम, अध्यक्षता आदि के संबंध में ग्राम सभा प्रक्रियाएं, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा पर भी लागू होगी;

(18) “योजना का सामाजिक अंकेक्षण” से अभिप्रेत है योजना के प्राथमिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ योजना का अंकेक्षण. अंकेक्षण में सम्मिलित है मजदूरों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का सत्यापन, शासकीय अभिलेखों का तुलनात्मक आधार पर तथा लिखित या मौखिक साक्ष्य, जैसा कि शासन द्वारा सहायता एवं सुविधा प्रदान की गई हो; को ध्यान में रखते हुए कार्यों, तथ्यों का सत्यापन;

(19) “सोसाइटी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 7 के अधीन पंजीकृत छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई;

(20) “ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण” से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो हितधारकों के साथ ग्रामीण स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं।

3. सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार.— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्र. 42 सन् 2005) की धारा 17 में यथा वर्णित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये, राज्य शासन निम्नलिखित रीति से सुविधा उपलब्ध करायेगा :—

(1) छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई (जो इसमें इसके पश्चात् सीजीएसएयू के रूप में निर्दिष्ट है) जो कि मुख्य प्रशासनिक तथा क्रियान्वयन इकाई की स्वतंत्र सोसाइटी है, राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी होगी।

(2) छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नेतृत्व सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ (संचालक) द्वारा किया जाएगा और जिसमें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु वरिष्ठ और कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण सम्मिलित होंगे।

(3) वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो गहन स्तर पर लोगों के अधिकारों और सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में व्यापक अनुभवी और प्रशिक्षित हों। वे अग्रगमन आधार पर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक संभाग और जिला स्तर पर संसाधन आधार का सृजन करेंगे। सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, सभी ग्रामों में ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों की निगरानी और सहायता करेंगे तथा सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे।

(4) कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, ऐसे युवा होंगे जो कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की अनुभवी हैं और जो मनरेगा योजना मजदूरों के परिवार से आते हैं तथा जिनकी सेवायें सीजीएसएयू द्वारा ली जा रही हों। कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, संसाधन आधार सृजित करते हैं तथा किसी जिला/संभाग के आर्बन्टिट ब्लॉक (ब्लॉकों) में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ग्राम सभा एवं निकासी बैठक में सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं।

(5) ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण (व्हीएसए), मनरेगा योजना के मजदूर परिवार के सदस्य हैं जिन्हें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन हेतु सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त है।

4. सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं—

- (1) सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, राज्य में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से, एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। क्रियान्वयन एजेंसी, कभी भी सामाजिक अंकेक्षण के कार्य निष्पादन में बाधा (अवरोध) उत्पन्न नहीं करेंगे।
- (2) कार्यक्रम अधिकारी/सीईओ, जनपद पंचायत, योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसियों की अपेक्षित जानकारियां, सामाजिक अंकेक्षण आरंभ होने की तिथि से कम से कम 7 दिवस के पूर्व, प्रदाय करने हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (3) पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए नियोजित सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, उसी पंचायत के निवासी नहीं होंगे।

5. सामाजिक अंकेक्षण की कार्यावधि—

- (1) मनरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण, राज्य के सभी पंचायतों में प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार, निष्पादित किया जायेगा।
- (2) सीजीएसएयू द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन सम्बन्धी सारणी पर निर्णय लिया जाएगा।
- (3) ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को उस ब्लॉक में पंचायतों की संख्या और उनकी निकटता के आधार पर 4-6 कलस्टरों (समूहों) में (10 से 20 ग्राम पंचायतें) विभाजित किये जायेंगे। सामाजिक अंकेक्षण को एक कलस्टर के सभी पंचायतों में एक साथ संपादित किये जायेंगे।

6. सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना—

- (1) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक अंकेक्षण के आरंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व, विहित प्ररूप में, मनरेगा योजना की सुसंगत जानकारी के लिए, सीईओ, जनपद पंचायत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ग्राम पंचायतवार और कार्यवार अभिलेख, निम्नलिखित विवरण सहित सामाजिक अंकेक्षण दल को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा :—
 - (क) ग्राम सभा का अनुमोदन,
 - (ख) तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति,
 - (ग) मस्टर रोल की प्रतियां,
 - (घ) भुगतान सूची,
 - (ड) माप पुस्तिका,
 - (च) सामग्रियों के बिलों और वाऊचरों की प्रतियां।
- (2) सीईओ, जनपद पंचायत आवेदन की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रदान करेंगे।
- (3) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन यथा उपबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल होने पर, सीईओ, जनपद पंचायत के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही स्वमेव प्रभावी होगी।
- (4) सामाजिक अंकेक्षण दल, समय गंवाए बिना, ऑनलाईन डाटाबेस (<http://nrega.nic.in>) से अपेक्षित डाटा संग्रहित करेंगे और सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया आरंभ करेंगे। किसी भी स्थिति में, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य निष्पादन उपरोक्त उल्लिखित आधार पर स्थगित नहीं की जायेगी।

7. पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी—

- (1) सीईओ, जनपद पंचायत, पहले से ही, लिखित रूप में यह सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित को सूचित करेंगे कि वे सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा साथ ही कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक में उपस्थित रहें :—
 - (क) जन प्रतिनिधियों,
 - (ख) मनरेगा योजना के संबंधित पदाधिकारियों,
 - (ग) संबंधित डाकघर/बैंक के प्रतिनिधि।

(2) वह सामाजिक अंकेक्षण की समाप्ति की संभावित तिथि के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजित करने के लिए संबंधित सरपंचों को सूचित करेगा।

8. ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया.—

- (1) सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के आरंभ होने के पूर्व, ब्लाक स्तर पर सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्यों को समझाने के लिए एक उन्मुखीकृत कार्यशाला आयोजित की जायेगी और सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के दौरान ग्राम में निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाएंगे :—
 - (क) ग्राम सभा में समुदाय के बीच अधिकारों और हक (पात्रता) एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना।
 - (ख) सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारियों जैसे मस्टर रोल, कार्य की सूची, विनिर्दिष्ट अवधि में निष्पादित कार्यों के बिल एवं बाऊचर को पढ़कर सुनाया जाना।
 - (ग) ग्राम सभा में सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपस्थित सभी लोगों को जानकारी प्रदाय करना।
 - (घ) मजदूरों व आम जनता से प्राप्त सभी पीड़ा एवं वास्तविकताओं के साथ जानकारी दर्ज करने में किये गये विचलनों (व्यतिक्रम) को, ग्राम सभा में लिखित में लिया जाना।
 - (ङ) मजदूर, जिसका नाम घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से मस्टर रोल में दर्ज है के साथ सीधा संपर्क स्थापित करते हुए विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, मस्टर रोल प्रविष्टियों एवं मजदूरों को किये गये भुगतान का विस्तृत सत्यापन करना।
 - (च) शासकीय दस्तावेजों (माप पुस्तिका और सामग्री भुगतान बाऊचर) के संदर्भ में कार्य की गुणवत्ता, मात्रा एवं उपयोगिता के जांच हेतु कार्यस्थल का निरीक्षण करना एवं हितधारकों एवं मजदूरों से क्रय की गई सामग्रियों का प्रति सत्यापन करना।
 - (छ) ऐसे प्राप्त सामग्रियों जो प्राक्कलन और दी गई प्रक्रिया के अनुसार एवं मितव्ययिता हों, के बीजकों/बिलों/बाऊचरों एवं अन्य संबंधित अभिलेख का सत्यापन तथा प्रमाणन करना।
 - (ज) वित्तीय रिपोर्टों की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता के लिए कैश बुक, बैंक विवरण और अन्य वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन करना।
 - (झ) किसी मुद्रे पर मजदूरों के मौखिक एवं लिखित बयानों को दर्ज करना और साथ ही सामाजिक अंकेक्षण प्रारूपों को भरना और रिपोर्टों को लिखना।
 - (ञ) निधि के किसी भी प्रकार के दुर्बिनियोग की स्थिति में, उत्तरदायी व्यक्ति और इस निधि के अंतिम रूप से प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान करना और सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में उपदर्शित करना।
9. सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा.—
 - (1) सामाजिक अंकेक्षण सर्वे की समाप्ति के पश्चात् सामाजिक अंकेक्षण दल, एक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन करेगी, जिसके लिए तिथि का निर्धारण, पूर्व से ही कर लिया जाएगा।
 - (2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, ऐसे अधिकारी, जो मनरेगा योजना क्रियान्वयन एजेंसी से सम्बन्धित न हो, को सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिये स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे।

(3) सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सभी क्रियान्वित पदाधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(4) प्राथमिक हितधारकों और ग्रामीण समुदायों को उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण दल के साथ-साथ ग्राम पंचायत द्वारा, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जायेगा।

(5) ग्राम पंचायत, सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुसार ग्राम सभा आयोजित करेंगे।

(6) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा और इसके प्रत्युत्तरों, यदि कोई हो, को दर्ज किया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लिए जाएंगे।

(7) यदि कोई व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों से व्यक्ति है, तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक, उनकी उपस्थिति में उस विषय पर पुनः परीक्षण का अवसर प्रदान करेंगे।

(8) इस प्रकार से दर्ज साक्ष्य को कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक में विचार-विमर्श हेतु पुनः नहीं खोला जाएगा।

10. **कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक।—**

(1) कलस्टर के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के समापन के पश्चात् सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की पराकाष्ठा के रूप में कलस्टर स्तर पर एक सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक आयोजित की जाएगी। निकासी बैठक में भाग लेने के लिए डीपीसी/सीईओ-जिला पंचायत के द्वारा, मजदूरों के प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, संबंधित पदाधिकारियों, स्वतंत्र पर्यवेक्षक एवं मीडिया को, आमंत्रित किया जायेगा।

परन्तु यह कि मजदूरों, जिनकी जांच स्वतंत्र पर्यवेक्षक के समक्ष पहले ही ग्राम सभा में हो चुकी है, की उपस्थिति इस प्रकार की निकासी बैठक में अनिवार्य नहीं है।

(2) निकासी बैठक की अध्यक्षता, जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी, किन्तु जो डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से निम्न का न हो, के द्वारा किया जायेगा।

(3) निकासी बैठक को निम्नानुसार आयोजित किया जाएगा :—

(क) पिछले सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में की गई कार्यवाही को पढ़कर सुनाया जाएगा,

(ख) वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को, ग्राम पंचायतवार, सामाजिक अंकेक्षण दल के किसी सदस्य द्वारा पढ़ा जाएगा।

(ग) सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विचलन के संबंध में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी, ग्राम सभा/कार्य स्थल सत्यापन/घरेलू सर्वेक्षण में अभिलिखित साक्ष्य का परीक्षण करेंगे तथा अपने निकासी बैठक में प्रत्येक प्रकरण में आदेश पारित करेंगे।

(घ) संबंधित शासकीय पदाधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण में चिन्हित प्रत्येक मामलों पर, प्रभावित व्यक्तियों तथा लोगों को, अपना जवाब या स्पष्टीकरण देते हुए, इस संबंध में प्रत्युत्तर देंगे कि कतिपय कार्यवाही क्यों की गई एवं नहीं की गई।

(ङ) प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों को सुनने तथा निकासी बैठक में शासकीय पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात्, अध्यक्षता करने वाला अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा यथा उपदर्शित तथा शासन द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रत्येक निष्कर्षों पर निर्णय की घोषणा करेंगे।

(च) यदि पदाधिकारी द्वारा निधि का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो वे निकासी बैठक में उसका पुनः भुगतान कर सकेंगे तथा उसको जिला कार्यक्रम समन्वयक/आयुक्त, मनरेगा योजना के अभिहित खाते में जमा किया जायेगा एवं रसीद, संबंधित व्यक्ति को जारी किया जायेगा।

(ज) सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों और आदेश, जिसे अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, को तीन दिवस के भीतर, जिला कार्यक्रम समन्वयक/आयुक्त, मनरेगा योजना को भेजा जायेगा।

11. अनुबंधी कार्यवाही।—सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुबंधी कार्यवाही का उत्तरदायित्व, डीपीसी और आयुक्त, मनरेगा योजना का होगा। इस समर्थ में, निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा :—

(क) कोई मुद्रदे जो कि सामाजिक अंकेक्षण के दोरन उद्भूत हो अथवा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में कोई विषय, जिससे अधिनियम का उल्लंघन या मनरेगा योजना के क्रियाव्यय में कमी उपदर्शित हो, को मनरेगा अधिनियम की धारा 19 के अधीन एक 'शिकायत' के रूप में स्वमेव व्याख्यापित किया जाना चाहिए।

(ख) निकासी बैठक की तरीख से 15 दिनों के भीतर सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में उपदर्शित सभी व्यक्तियों पर कार्यवाही शुरू करने का दायित्व, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) का होगा।

(ग) यदि निकासी बैठक में दिये गये आदेश पर, अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया, शासन के अनुशासनात्मक/प्रशासनिक नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप पूर्ण की जायेगी।

(घ) व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के बर्न, जो अधिनियम के अधीन योजना के लिए विविहित निधि का दुरुपयोग या गवन करते हैं, के विरुद्ध समुचित कार्रवाई (जिसके अंतर्गत आपराधिक और स्थिवल प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाना अथवा सेवा की समाप्ति भी है) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जायेगी।

(ङ) यदि इस प्रकार वसूल की गई राशि, अधिकार स्वरूप मजदूरों से संबंधित हों तो ऐसी राशि के वसूल करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर उन्हें लौटा दी जायेगी।

(च) यदि कोई व्यक्ति, राशि के गवन का दोषी पाया जाता है और राशि के पुनः भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध राजस्व वसूली अधिनियम, 1958 के अनुसार राशि की वसूली के लिये कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की प्रक्रिया छो, निकासी बैठक की तरीख से 6 माह के भीतर पूरा किया जायेगा।

12. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका।—सामाजिक अंकेक्षण, क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किये गये कार्यों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रक्रिया में हस्तक्षेप या प्रभावित करने के प्रयास पर कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी। मनरेगा योजना के क्रियाव्ययन से संबंधित सभी शासकीय पदाधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन कार्य में सहयोग करेंगे। इस संदर्भ में, अधिकारियों पर निमानुसार दायित्व निर्धारित किए गए हैं :—

(१) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद, पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी—

(क) क्रियान्वयन एजेंसी से संबंधित जानकारी, जैसा कि सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा निवेदित हो, संग्रहित करेंगे एवं प्रदान करेंगे।

(ख) योजना क्रियाव्ययन के सभी पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और मजदूरों को, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की तिथि के बारे में जानकारी देंगे।

(ग) सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा आयोजन करने हेतु ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सूचित करेंगे।

(घ) अन्य मनरेगा योजना पदाधिकारी के साथ कलस्टर स्तरीय निकासी बैठक में आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे।

(ङ) सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर तकाल सुधारात्मक कार्रवाहीयां करेंगे और सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक के दोरान प्रशासनिक कार्यवाही पर लिए गए निर्णयों का रूपान्तरण सुनिश्चित करेंगे।

(च) सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्ज की गई किसी भी विवाद या शिकायत का निपटान करेंगे।

(ज) ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षणों (ब्लॉक्सए) और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ पाक्षिक बैठकें आयोजित करेंगे और प्रशासन द्वारा कार्रवाई के संबंध में उन्हें सूचित करेंगे।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/सीईओ-जिला पंचायत—

(क) सभी कलस्टर में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन हेतु व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन के दौरान अपेक्षित रीति में प्रशासनिक तंत्र के साथ सहयोग सुनिश्चित करेंगे, वे, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्यान्वयन विभागों द्वारा सभी अभिलेख, सीईओ, जनपद पंचायत को प्रस्तुत कर दी गयी है जिसे सामाजिक अंकेक्षण दल को सौंप दिया गया हो।

(ग) आबंटित ब्लॉकों में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के रूप में अधिकारियों के समूह का चयन, अभिहित और प्रशिक्षित करेंगे।

(घ) सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठकों में या तो व्यक्तिगत अथवा उनकी ओर से नामांकित अधिकारी उपस्थित होंगे।

(ङ) यथा अपेक्षित/आवश्यक सिविल सेवा नियम और आपराधिक प्रकरणों के अनुसार अनुशासनिक मामलों सहित सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्यवाही की निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे।

(च) यह सुनिश्चित करेंगे कि वसूलियां कर ली गयी हैं एवं ऐसे व्यक्ति जो गबन में लिप्त हैं, इस प्रकार के प्रकरण में वे राशियां लौटा रहे हैं। इस प्रकार वापस की गई राशि की पावती जारी की जायेगी तथा वसूली के सात दिनों के भीतर मजदूरों को देय राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

13. सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता—वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक सहित सामाजिक अंकेक्षण दल नीचे दिये गये आचार संहिता का आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :—

(क) सामाजिक अंकेक्षण दल, अपने कार्य में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानक प्रदर्शित करेंगे।

(ख) वे ग्रामों में गरिमा के साथ सामाजिक अंकेक्षण का निष्पादन करेंगे।

(ग) वे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी मादक पदार्थ का उपभोग नहीं करेंगे।

(घ) सामाजिक अंकेक्षण दल, सामाजिक अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल मनरेगा मजदूरों के निवास में अथवा किसी शासकीय भवन में ही ठहरेंगे।

(ङ) वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार नहीं करेंगे।

उपर्युक्त आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी सामाजिक अंकेक्षक की सेवायें, तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

14. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण—सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक सर्तकता की एक सतत प्रक्रिया है, अतएव वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण निष्पादित किये जाने की वैधानिक आवश्यकता है। यह प्राथमिक हितधारकों द्वारा मांग के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन हेतु स्वतंत्र पहल की सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिये,—

(क) ग्राम में सामाजिक अंकेक्षण की समर्पित के पश्चात् ग्राम के ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक और अन्य मजदूर, अपने स्वयं के द्वारा माह में एक बार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, उपरोक्त नियम 6 (1) और (2) की प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन कर सकते हैं।

(ख) शासकीय एजेंसियां, अनुरोध पर अभिलेखों की प्रतियां प्रदान करते हुए इस प्रकार के पहल का समर्थन करेंगे।

(ग) इस प्रक्रिया के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट, अभिलेख का एक हिस्सा होंगे और क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जवाब दिया जायेगा।

(घ) जहां किमियां पायी जाती हैं, वहां इन नियमों के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट और साथ ही कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट को अगले ग्राम सभा के समक्ष रखना होगा।

(ङ) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुपालन के लिए और प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिये सभी ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक (व्हीएसए), जिन्होंने समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण निष्पादित किये हों, के साथ ब्लॉक स्तर पर मासिक बैठक का आयोजन किया जायेगा।

(च) सीईओ-जनपद पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मासिक बैठक में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण में सभी निष्कर्षों पर त्वरित कार्यवाही की पहल की जायेगी।

(छ) ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की बैठक में भाग लेने और समवर्ती सामाजिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई (सीजीएसएयू), अपने सामाजिक अंकेक्षण निधि से उन्हें भोजन भत्ता एवं पारिश्रमिक का भुगतान करेगा।

15. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट.—ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा यथा उपदर्शित मनरेगा योजना की प्रशासनिक लागत के 6% से सामाजिक अंकेक्षण निधि के रूप में मनरेगा योजना के अन्तर्गत कुल वार्षिक व्यय का कम से कम 0.5% एवं 1.0% तक शासन आबंटित करेगा। सामाजिक अंकेक्षण निधि का उपयोग, मनरेगा योजना का सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन के लिए किया जाएगा। आयुक्त, मनरेगा योजना द्वारा, मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये सीजीएसएयू को निधि प्रदाय करने हेतु पहल की जायेगी।

No. F 1-91/22-1/2015.—Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme-Chhattisgarh, Social Audit Rules, 2015, which the State Government in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), is hereby, published the said Act, in the Official Gazette.

1. **Short title, extent and commencement.—**

(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme-Chhattisgarh, Social Audit Rules, 2015.

(2) These rules shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) “Act” means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005);

(2) “Block/Janpad Panchayat” means a Community Development and Trible Development area within a District comprising a group of Gram Panchayats;

(3) “CEO Janpad Panchayat” means the Chief Executive Officer of Janpad Panchayat at Block level;

(4) “Civil Society” means any village communities, non-official public spirited groups or individuals including MGNREGS workers who expressed in writing showing their interest or chosen to participate in the public vigilance process in general and Social Audit process in particulars;

(5) “Cluster” means a group of Gram Panchayats in a Block constituted on the basis of geographical proximity;

(6) “Commissioner” means the Commissioner, MGNREGS, Chhattisgarh;

(7) “District Programme Coordinator” means the District Collector;

(8) “Division” means cluster of adjoining districts as defined by the Government of Chhattisgarh from time to time;

(9) "Exit Conference" means meeting conducted by the District Program Coordinator (hereinafter referred to as the DPC) with the social audit team and implementing staff, to hear the Gram Panchayat wise social audit findings and concerned officials shall respond on which decision shall be taken by the DPC;

(10) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(11) "Gram Sabha" means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of Panchayat at village level as defined in the Constitution (Seventy Third Amendment) Act, 1993 and Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 and rules made thereunder. However, for the purpose of Social Audit, Gram Sabha means, meeting in one ward/village/para/habitation constituting residents of that Panchayat;

(12) "Implementing Agency" means any Department of the Central Government or State Government or any local authority or Non Governmental Organisation authorized by Central Government or the State Government to undertake the implementation of any work taken up under MGNREGS;

(13) "Independent Observer" means an officer identified and deputed by District Program Coordinator to Social Audit Gram Sabha;

(14) "Primary Stakeholders" means workers who have worked under MGNREGS including their family members and residents of Panchayats where the MGNREGS works are carried out;

(15) "Programme Officer" means the Officer appointed for Mahatma Gandhi NREGA Programme at Janpad level;

(16) "Social Audit Facilitators" means the persons who shall carry out the training and capacity building activities and support the Village Social Auditors at village level;

(17) "Social Audit Gram Sabha" is a special Gram Sabha which shall be held at least once in every six months to discuss the Social Audit findings. Gram Sabha procedures regarding announcement, quorum, chairpersonship etc., shall also be applicable to the Social Audit Gram Sabha;

(18) "Social Audit of a Scheme" means auditing of a scheme with the active participation of the primary stakeholders of the Scheme. Audit includes the verification of implementation process to ensure the entitlement of workers, verification of works, facts on the ground vis-a-vis official records and taking into account the written or oral evidences which is aided and facilitated by the Government;

(19) "Society" means the Chhattisgarh State Social Audit Unit registered under Section 7 of the Chhattisgarh Societies Registrarian Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973);

(20) "Village Social Auditors" means the persons who execute the Social Audit Process at village level with the Primary Stakeholders.

3. **The Social Audit Resource Base.**—In order to provide support to the Gram Sabhas to carry out the functions as described in Section 17 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), the State Government shall provide facilities in the following manner :—

- (1) The Chhattisgarh Social Audit Unit (hereinafter referred to as CGSAU), being an independent society of the mainstream administration and implementation structure, shall be responsible for facilitating social audit processes in all Gram Panchayats in the State.
- (2) The Chhattisgarh Social Audit Unit will be headed by a Social Audit Expert (Director) and consist of Senior and Junior Social Audit Facilitators for facilitating of Social Audits in villages.
- (3) The Senior Social Audit Facilitators are social-workers, striving for 'Rights and empowerment of people' at grassroot level, having vast experience and trained in the social audit process. They will form the resource base at each of the Division and District level to carry out the training and capacity building on Social Audit process on continuous basis. The Social Audit Facilitators will monitor and support the Village Social Auditors in all villages and follow up actions on Social Audit findings.

- (4) The Junior Social Audit Facilitators are youth, having experience in social audit process and hail from households of MGNREGS workers and whose services are being hired by CGSAU. The Junior Social Audit Facilitators form the resource base and participate in the Social Audits process in the allotted Block (s) of a district/division and present the social audit findings in the Gram Sabha and Exit Conference.
- (5) The Village Social Auditors (VSAs) are the family members of MGNREGS workers trained in Social Audit process to carry out the Social Audits in villages.

4. Social Audit pre-requisites.—

- (1) The social audit process shall be an independent process from the implementation of MGNREGS in the State. The implementing agencies shall, at no time, interfere with the conduct of social audit.
- (2) The Programme Officer/CEO, Janpad Panchayat shall be responsible for providing requisite information of all implementing agencies of the Schemes at least 7 days prior to the date of commencement of Social Audit.
- (3) The Social Audit Facilitators and Village Social Auditors deployed for conducting the social audit in a Panchayat shall not be the resident of the same Panchayat.

5. Periodicity of Social Audit.—

- (1) The Social Audit of the MGNREGS shall be carried out in all Panchayats of the State at least once in every six months.
- (2) The schedule for conduct of social audit will be decided at the beginning of every year by the CGSAU in consultation with the District administration.
- (3) All Gram Panchayats in a Block shall be divided into 4-6 clusters (10 to 20 Gram Panchayats) based on the number of Panchayats in that Block and on their proximity. Social Audit shall be carried out simultaneously in all Panchayats of a cluster.

6. Filing of application for relevant Official Records.—

- (1) The social audit team will file an application before the CEO, Janpad Panchayat for relevant information of the MGNREGS, in a prescribed form, at least 15 days before commencement of Social Audit. The Gram Panchayat wise and work wise records including the following details shall be provided free of cost to social audit team:—
 - (a) Gram Sabha Approval,
 - (b) Copy of Technical & Administrative sanction,
 - (c) Copies of Muster Rolls,
 - (d) Wage lists,
 - (e) Measurement Books,
 - (f) Copies of Bills and Vouchers of materials.
- (2) The CEO, Janpad Panchayat shall provide the required information within 7 days of the receipt of the application.
- (3) Failure to provide records as provided under sub-section (1) of Section 6 of the Act will automatically result in disciplinary action against the CEO, Janpad Panchayat.
- (4) The Social Audit team, without wasting time shall collect the required data from online database (<http://nrega.nic.in>) and start their social audit process. Under no circumstance, the conduct of social audit will be postponed on the above mentioned ground.

7. Information on the Social Audit to Panchayats.—

- (1) The CEO, Janpad Panchayat shall notify in writing to the following, well in advance, to ensure that they must also be present at Social Audit Gram Sabha as well as at the cluster level Exit Conference :—
 - (a) Public representatives,
 - (b) Concerned functionaries of MGNREGS,
 - (c) Concerned Post Office/Bank representatives.
- (2) He shall also inform the concerned Sarpanchs to convene Social Audit Gram Sabha as per the expected date of completion of social audit.

8. Social Audit Process in the Gram Panchayats.—

- (1) Prior to the start of Social Audit process, an orientation workshop with the Sarpanchs at Block level will be conducted to make them aware of the objectives of the Social Audit and to seek their participation in the Social Audit Gram Sabha.
- (2) The following activities shall be undertaken by the Social Audit team during the process of Social Audit in a Village :—
 - (a) To generate awareness among community on Rights and Entitlements and Social Audit process in Gram Sabhas.
 - (b) To read out the information available in the government documents such as Muster Rolls, List of works, Bills and vouchers of works executed in specified period.
 - (c) To ensure availability of all records and to give information to the public present in Gram Sabhas.
 - (d) All grievances of workers/general public and deviations in recorded information with ground realities shall be taken in writing in Gram Sabhas.
 - (e) Through verification of Muster Roll entries and payments made to workers during specified period by establishing direct contact with the workers whose names are entered in the Muster Rolls by conducting household survey.
 - (f) Visiting the worksites to verify quality, quantity and usefulness with reference to the official records (Measurement Book and material payment vouchers) and cross verification of materials procured with beneficiaries and workers.
 - (g) To verify the invoices/bills/vouchers and other related records of material procured and to testify such procurement is as per the estimate and procedures laid down and are economical.
 - (h) To verify the cash book, bank statements and other financial records for correctness and reliability on financial reports.
 - (i) Recording the oral and written statements of workers on any issue as well as filling of the Social Audit formats and writing reports.
 - (j) In case of any misappropriation of funds, both the person responsible and ultimate recipient of such funds shall be identified and indicated in the Social Audit report.

9. Social Audit Gram Sabha.—

- (1) After completion of social audit surveys, the social audit team shall hold a Social Audit Gram Sabha for which the date shall be fixed well in advance.
- (2) The District Program Coordinator shall depute an officer, who has not been a part of MGNREGS implementing agency, as an Independent Observer to testify the social adudit findings.

- (3) Block and Gram Panchayat level implementing functionaries should ensure their presence in the Social Audit Gram Sabha.
- (4) The Primary Stakeholders and village community shall be informed well in advance about the Social Audit Gram Sabha by the Social Audit team as well as the Gram Panchayat to ensure their full participation.
- (5) The Gram Panchayat shall convene the Gram Sabha as per the requisition of the Social Audit team.
- (6) Findings of Social Audit would be read out in the Social Audit Gram Sabha and the responses, if any, shall be recorded and signatures/thumb impressions of concerned shall be obtained.
- (7) If any person is aggrieved by the Social Audit findings, the Independent Observer shall give an opportunity to re-examine the issue in his/her presence.
- (8) The evidence so recorded shall not be reopened for discussions at Cluster level Exit Conference.

10. **Cluser level Exit Conference.—**

- (1) As a culmination of the Social Audit process, after completion of Gram Sabhas in all Gram Panchayats of a cluster, a Social Audit Exit Conference shall be held at cluster level. The representatives of workers, public representatives, official functionaries, Independent Observer(s) and media shall be invited by the DPC/CEO-ZP to take part in the Exit Conference :

Provided that the presence of the workers, who have already testified in the Gram Sabha before the Independent Observer, are not compulsory at such Exit Conference.
- (2) The District Programme Coordinator or any officer authorized by him/her, but not below the rank of Deputy Collector, shall preside over the Exit Conference.
- (3) Exit Conference shall be conducted as follows :—
 - (a) The action taken in the last Social Audit Report will be read out.
 - (b) Gram Panchayat-wise, the current Social Audit findings, shall be read by any member of the Social Audit team.
 - (c) For each deviation pointed out by the Social Audit team, the Presiding Officer shall examine the evidence recorded at the Gram Sabha/worksites verification/household survey and pass orders in each case in the Exit Conference itself.
 - (d) The concerned official functionary shall respond to each of the issues identified in the social audit by giving a clarification or an explanation to the affected individual and to public as to why certain action was taken and not taken.
 - (e) After hearing each finding of social audit and hearing the version of official functionary in Exit Conference, the Presiding Officer shall announce the decision on each findings as indicated by disciplinary actions and as prescribed by the Government from time to time.
 - (f) Where the functionaries are found to have misappropriated the funds, they may repay the same in the Exit Conference and the same shall be deposited in the designated account of the District Programme Coordinator/Commissioner, MGNREGS and a receipt will be issued to the person there itself.
 - (g) The Social Audit findings along with Orders passed by the Presiding Officer shall be sent to the District Programme Coordinator/Commissioner, MGNREGS within three days.

11. **Follow up action.**—It shall be the responsibility of the DPC and the Commissioner, MGNREGS to take follow up action on the social audit findings. In this context, the following actions shall be ensured :—

- (a) Any issue which is raised during a Social Audit or any item in the Social Audit report which indicates a contravention of the Act or a shortfall in implementation of the MGNREGS, should automatically be interpreted as a 'complaint' under Section 19 the MGNREGA.
- (b) The DPC will be responsible for initiating action on all persons indicated in the social audit report within 15 days from the date of Exit Conference.
- (c) Where disciplinary action has been ordered in the Exit conference, such process shall be completed as per Government disciplinary/administrative rules and instructions.
- (d) The District Programme Coordinator shall take appropriate action (under which criminal and civil procedure is to be initiated or also the termination of service) against the person or persons or class of persons who misuse or embezzles funds for Schemes under the Act.
- (e) If the amount so recovered, rightfully belong to the workers, the same shall be returned to them within 7 days from the date of recovery of such money.
- (f) In case the person is found guilty of misappropriation fails to repay the amounts, action as per the Revenue Recovery Act, 1958 shall be taken for recovery of the amounts. Such process shall be completed within 6 months from the date of Exit Conference.

12. **Role of Administration in the Social Audit Process.**—The Social Audit is an independent evaluation of the work done by the implementing agencies. Any attempt to interfere with or influence the process by the administrative machinery will be dealt with strictly. All the official functionaries dealing with MGNREGS implementation shall cooperate in conduct of the Social Audit. In this context, the following responsibilities are fixed on the officers :—

- (1) The Chief Executive Officer, Janpad Panchayat and Program Officer—
 - (a) shall collect and provide information related to all implementing agencies as requested by the Social Audit team.
 - (b) shall communicate about the Social Audit process, date of Social Audit Gram Sabha to all functionaries of Scheme implementation, Public Representatives and workers.
 - (c) shall inform the Sarpanchs fo Gram Panchayats for conducting the Social Audit Gram Sabha.
 - (d) shall necessarily participate along with other MGNREGS functionaries in the cluster level Exit Conference.
 - (e) shall take corrective actions on Social Audit findings immediately and shall ensure the translation of the decisions taken during Social Audit Exit Conference into administrative action.
 - (f) shall dispose of any dispute or complaint recorded in the Social Audit report.
 - (g) shall organize fortnightly meetings with VSAs and representatives of workers and apprise them of the action taken by the administration.
- (2) District Program Coordinator and CEO-ZP—
 - (a) shall be responsible for making arrangements for smooth conduct of Exit Conference in all clusters.
 - (b) shall ensure that administrative machinery cooperates in the required manner while conducting social audit. He/She shall ensure that all records are submitted by all implementing departments to CEO, Janpad who then, handovers them to Social Audit team.
 - (c) shall identify, designate and train a group of Officers as Independent Observers to attend the Social Audit Gram Sabhas in the allotted Blocks.

- (d) shall attend the Social Audit Exit Conferences either in person or nominate an officer on his behalf.
- (e) shall be responsible for monitoring the corrective action on the social audit findings including disciplinary cases as per the Civil Service Rules and Criminal cases as required/necessary.
- (f) shall ensure that recoveries are facilitated and in cases where those who have indulged in embezzlement must return the money. For the money so returned receipts shall be issued and dues shall be paid to the workers within seven days of recovery.

13. **Code of conduct for the Social Audit Team.**—The Social Audit teams including the Senior and Junior Social Audit Facilitators and Village Social Auditors. shall follow the necessary code of conduct laid down below:—

- (a) The Social Audit team shall exhibit high standards of impartiality and integrity in their work.
- (b) They shall conduct Social Audit with dignity in the villages.
- (c) They shall not consume any intoxicants during Social Audit process.
- (d) The Social Audit team shall stay in the houses of MGNREGS workers or in any Government building only during the social audit period.
- (e) Shall not accept any financial and non-financial benefits from the implementing agencies.

Service of any Social Auditor, violating the above code of conduct, shall be summarily dispensed with.

14. **Concurrent Social Audit.**— Social Audit has to be an on-going process of public vigilance. Therefore, the statutory requirement is to carry out Social Audits twice in a year. It shall facilitate independent initiatives by primary stakeholders to carry out Social Audits as per the demand. For this purpose,—

- (a) after completion of the Social Audit in the village, the Village Social Auditors (VSAs) of the village along with other workers can carry out Concurrent Social Audit once a month on their own by following the process of Rule 6 (1) and (2) mentioned above.
- (b) government agencies shall support such initiatives by providing copies of records on request.
- (c) reports submitted in such process shall form part of the record, and shall be answerable by the implementing agencies.
- (d) where shortcomings are found, immediate action must be taken as per these rules. The report of the concurrent social audit as well as the report regarding the action taken must be placed before the next Gram Sabha.
- (e) for following up on the findings of social audit and providing active support to the process, there shall be a monthly meeting at Block level with all the VSAs who have done concurrent social audit.
- (f) prompt action shall be initiated on all the observations made in the concurrent social audit in the monthly meeting by the CEO-JP/Programme Officer.
- (g) while attending the follow-up meeting and submitting the concurrent Social Audit report by Village Social Auditors, CGSAU shall make payment of their Food Allowance & Honorarium from its social audit funds.

15. **Budget for the Social Audit Process.**— The Government shall allot at least 0.5% and upto 1.0% of total annual expenditure under MGNREGS as Social Audit Fund from the 6% of administrative cost of MGNREGS as indicated by the Ministry of Rural Development (MoRD). The Social Audit Fund shall be used to conduct Social Audit of MGNREGS works. The Commissioner, MGNREGS will take initiative to release funds to CGSAU to ensure smooth execution of social auditing of MGNREGS works.